



# कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मसी अधिनियम - 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोन:-0771-2444591, मो.नं.- 94255 05779, ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाइट:- www.cspc.in

कर्मोंक/सी.जी./फार्मा/2025/151

रायपुर, दिनोंक :- 30/05/2025

## ::- सूचना ::-

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल की आम बैठक कर्मोंक 02/2025 दिनोंक 08/05/2025 में लिये गये निर्णयानुसार फार्मासिस्टों के पंजीयन, नवीनीकरण सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए पूर्व निर्धारित व दिनोंक 01 जनवरी, 2013 से प्रभावशील शुल्क व्यवस्था में दिनोंक 01 जून, 2025 से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

| S.No. | शुल्क का विवरण                   | राशि रु.                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | प्रोसेसिंग शुल्क                 | 400.00                                                                                                                                                    |
| 2     | पंजीयन शुल्क                     | 2000.00 (छत्तीसगढ़ राज्य के फार्मसी शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण आवेदको के लिए)<br>5000.00 (अन्य राज्यों के फार्मसी शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण आवेदको के लिए) |
| 3     | नवीनीकरण शुल्क प्रति वर्ष        | 300.00                                                                                                                                                    |
| 4     | डुप्लीकेट प्रमाण पत्र शुल्क      | 1000.00 (प्रथम प्रति)<br>2000.00 (द्वितीय प्रति)                                                                                                          |
| 5     | अतिरिक्त योग्यता जोड़ने का शुल्क | 500.00                                                                                                                                                    |
| 6     | नाम पता परिवर्तन शुल्क           | 500.00                                                                                                                                                    |
| 7     | सत्यापन शुल्क                    | 500.00                                                                                                                                                    |
| 8     | डाक व्यय शुल्क                   | 150.00                                                                                                                                                    |
| 9     | एन. ओ. सी. शुल्क                 | 3000.00                                                                                                                                                   |
| 10    | विलम्ब शुल्क प्रति वर्ष          | 500.00                                                                                                                                                    |
| 11    | रिस्टोर्शन फीस                   | 3000.00                                                                                                                                                   |
| 12    | रखरखाव एवं विकास शुल्क प्रतिवर्ष | 400.00                                                                                                                                                    |

उपरोक्त संशोधित शुल्क दिनोंक 01/06/2025 से लागू होगा जिसमें पृथक से 18 प्रतिशत जी.एस.टी. शुल्क देय होगा।

*[Signature]*  
30/05/2025

(अश्वनी गुर्देकर)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल  
रायपुर (छ.ग.)